कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1674 /मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 22 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : मुरादाबाद—बरेली—लखनऊ मार्ग (NH-24) किमी0 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम—मुस्तफाबाद के खसरा सं0—196/03 में सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक—1857/14—1, दिनांक 08.12.2017,
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक—47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

1— ऑनलाइन पार्ट—1 के बिन्दु—ए—3(xvii) पर अपलोड प्राधिकार पत्र में दिनांक अंकित नहीं है। उक्त के स्थान पर प्रस्ताव के पृष्ठ—25 पर संलग्न मूल अभिलेख को अपलोड कराने का कष्ट करें।

2— सन्दर्भित पत्र के बिन्दु—2बी के कम में पार्ट—1 पर अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाइल व डिजिटल मैप की आकृति आपस में मेल नहीं खाते हैं।

3— सन्दर्भित पत्र के बिन्दु—2सी के कम में पार्ट—1 पर संशोधित के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं की गयी है। अपलोड कराने का कष्ट करें।

4— सन्दर्भित पत्र के बिन्दु—5 के कम में प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। न ही ऑनलाइन अपलोड किया गया है।

5— ऑनलाइन पार्ट—2 के Additional Information Detail के बिन्दु—1 पर शासन द्वारा भाग—5 पर की गयी संस्तुति को न अपलोड कर अन्य पत्र अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 1674 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि **संशोधित प्रस्ताव** वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उप महाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q